न्यायालय तहसीलदार, तहसील रामगढ

सरकार जरिये पटवारी हल्का नंगला ललावण्डी

बनाम

पल्टू, जुम्मा पुत्रान शादी जाति मेव निवासी मांदला खुर्द तहसील रामगढ

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण सं0 16 / 2024

निर्णय दिनांक 27.01.25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मादंला कला के बंजड प्रथम भूमि के आ0ख0नं0 493 रकबा 0.50 है0 में से 0.25 हैक्ट पर गेहू की फसल बोकर पल्टू, जुम्मा पुत्रान शादी जाति मेव निवासी मांदला खुर्द तहसील रामगढ द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का ललावण्डी द्वारा दिनांक 09.12.2024 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0अभि0 निरीक्षक वृत मिलकपुर के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल पल्टू, जुम्मा पुत्रान शादी जाति मेव निवासी मांदला खुर्द तहसील रामगढ को राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील होने के बाद गैर सायलान नियत तारीख पेशी पर प्रार्थी पल्टू पुत्र शादी उपस्थित हुए एवं लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। गैर सायल के द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है वह संतोषप्रद नही है। गैरसायलान द्वारा राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है। गैर सायलान को किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना विधि अनुसार संभव नही है। अतः गैरसायलान को अतिक्रमी करार दिया जाकर अतिक्रमित रकबे से बेदखल किए जाने के आदेश दिए जाते है। नाजायज कब्जा 0.25 हैक्ट, पर गेहू की फसल बोकर अतिक्रमण कर लेने पर दण्ड स्वरूप लगान 0.50 रू0 का 50 गुना रू0 25/– पैनल्टी आरोपित की जाती है। साथ ही पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि फसल जब्त कर फसल की निलामी कराई जावे। मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तहसील को लिखा जावे। पेनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु पटवारी/भू0 अभि0 निरीक्षक को लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय तहसीलदार रामगढ (अलवर) राज0

तहसीलदार
तहसील रामगढ (अलवर)

पृष्ठ सं0 214
क्रम सं0 06 वर्ष 24-25 पर शास्ती/...
राशि 25/- ...

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील रामगढ (अलवर)